

चिकित्सा-विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में  
सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निष्पक्ष समाचार पत्र

पार्किंग

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

वर्ष -40 ● अंक -16 ● कानपुर 16 से 31 अगस्त 2018 ● प्रधान सम्पादक - डा० एम० एच० हड्डीरीसी ● वार्षिक मूल्य -₹100



इलेक्ट्रो होमो मेडिकल ग्रुप  
127 / 204 एस बाजी, काशीनगर-200014  
मुम्बई

स्थानीय पंजीयन न होने से  
पूरे देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथों में आक्रेश

इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक अधिकार प्राप्त विकित्सा पद्धति है अधिकार पूर्वक इस विकित्सा पद्धति से विकित्सा व्यवसाय किया जा सकता है। बशर्ते ! जो चिकित्सक जिस राज्य में विकित्सा व्यवसाय कर रहा हो वह उस राज्य में प्रचलित कानूनों का पालन कर रहा हो, जो लोग यह घम फैलाते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी मान्यता प्राप्त नहीं है इसलिए इस पर अभी कोई कानून प्रभावी नहीं है यह निरान्त भाषणक व असत्य है क्योंकि विकित्सा राज्य का विषय होता है और जो चीज़ जहाँ से नियन्त्रित की जाती है जसे कहीं से नियन्त्रित होने के प्रदेश को अनुपालन हेतु निर्देश भी हैं 7 साल बीत जाने के बाद देश के एकमात्र राज्य उत्तर प्रदेश में ही इस आदेश का क्रियान्वयन हो सका है 11 राज्यों में इस आदेश के क्रियान्वयन की प्रक्रिया बड़ी सुस्त गति से चल रही है। शेष राज्यों ने अभी इस आदेश के क्रियान्वयन की पहल तक भी नहीं की है। ऐसे में हम याम लोगों को इस आदेश के क्रियान्वयन के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास करने चाहिये। ऐसा इसलिए होना

आवश्यक है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी से ऐसे कार्य किये जायें जिसका सीधा प्रभाव जनता पर पड़े चुदाहरण स्वरूप रोग से पीड़ित मनुष्य की एक मात्र इच्छा यही होती है कि शीघ्र से शीघ्र वह जिससे विकित्सक से विकित्सा ले रहा है वह उसे रोगमुक्त करे पैद्धि के बारे में तभी रोगी की अच्छी राय बनती है। एक बात तो बहुत सामान्य है वह यह है कि रोगी अपने विकित्सक के पास पूरे भरोसे के साथ जाता है और वह विश्वास रखता है

व्यवस्थाओं के सफलता प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है तब ऐसे लक्ष्यों की प्राप्ति संदिग्ध रहती है।

उसे उस राज्य में प्रचलित कानूनों का पालन करना ही होता है।

आज यह मूल समस्या है कि भारत वर्ष के सभी राज्यों व केन्द्र सारित प्रदेशों में स्थानीय पंजीयन किसी न किसी रूप में अवश्य लागू है। उसका स्वरूप चाहे जो हो, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के साथ विवरण यह है कि आज भी राज्य स्तरीय परिषदों की तुलना में केन्द्रीय परिषदों का बदबो ज्यादा है जब कि राज्य में विकित्रा व्यवसाय कर रहे अपने राज्य में विधि सम्पन्न ढंग से स्थापित राज्य स्तरीय परिषद में पंजीयन होना चाहिये, यह सबसे महत्वपूर्ण कारण है जो इलेक्ट्रो होम्यो पैथी चिकित्सकों को लगातार परेशान कर रहा है आज भी देश में ऐसी कुछ संस्थायें हैं जो राष्ट्रीय पंजीकरण के आधार पर ही पूरे देश में प्रैक्टिस करने का अधिकार प्रदान करती हैं और अपने इस दावे के पक्ष में यह तर्क देती है कि जब तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता नहीं मिलती है तब तक राज्य स्तरीय पंजीयन की कोई आवश्यकता नहीं है, जबकि सत्य यह है कि जो संस्थायें केन्द्रीय पंजीयन की वकालत करती हैं और केन्द्रीय पंजीयन के पक्ष में तथ्य देती हैं वे यथार्थ के घरातल से बिल्कुल अलग होती हैं जो संस्थायें केन्द्रीय अधिकार की बात करती हैं उन्हें चाहिये कि वे अपने विचारों को वैधानिकता के तराजू पर रखकर तौते किए यह तय करें राज्य स्तरीय पंजीयन की आवश्यकता है कि नहीं ?

- स्थानीय पंजीयन को दें प्रमुखता
  - पूरे मनोबल के साथ करें चिकित्सा
  - सामूहिक रूप से करें प्रतिरोध
  - अपनी प्रस्तुति इलेक्ट्रो होम्योपैथ के रूप में करें
  - वैधानिकता को दें प्रमुख स्थान

चाहिये वयोंकि जब तक प्रत्येक राज्य में इलेक्ट्रो होम्मोरीथी के संचालन के लिए राज्य स्वतीय आदेश जारी नहीं होते हैं तब तक उस राज्य में स्वतन्त्रता पूर्वक कार्य नहीं किया जा सकता है और जब तक चिकित्सकों को स्वतन्त्रता पूर्वक कार्य करने का अधिकार नहीं प्राप्त होता है तब तक अपनी निजी

कामतानुसार कार्य नहीं कर सकता है और वह कार्य पूरी दामता के साथ नहीं किये जाते निश्चित रूप से उन कार्यों के परिणाम भी कभी अच्छे नहीं प्राप्त होते हैं।

आज की तिथि में  
इलेक्ट्रो होम्योपैथी को  
स्थापित करने के लिए यह

कि उसका विकित्सक उसे शीघ्र रोगमुक्त करके आराम दिलायेगा। जब रोगी को आराम मिल जाता है तब वह जहाँ कहीं भी जाता है अपने विकित्सक और उसके द्वारा प्रयोग में लायी जाने वाली विकित्सा पद्धति की प्रशंसा करते नहीं थकता है, यह सब बातें सुनने और कहने में तो बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन मूल रूप में उन्हें पाने के लिए जो करना पड़ता है वह शायद न तो हमारे द्वारा किया जाता है और न संस्थाओं द्वारा, आज हर व्यक्ति प्रगति की अच्छी दौड़ में दौड़ा जा रहा है साफलता मिले ! कौसे मिले ? इसके लिए कोई व्यवस्था निर्मित नहीं है और जब बिना

रहे हैं और उनके विलम्ब दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा रही है। निश्चित रूप से जब इस तरह के सामाचार हमारे पास आते हैं तो कष्ट होता है लेकिन जब हम उनके मूल कारणों पर जाते हैं और जो तथ्य सामने आते हैं तो निश्चित तौर पर वह तथ्य चिन्तनीय होते हैं हम पिछले कई वर्षों से पूरे देश को यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वास्तविकता को समझें और उसी के अनुसार आचरण करें सब लोगों को यह पता होना चाहिये कि विकित्सा करने का अधिकार राज्य सरकार के अधीन होता है अर्थात् जो विकित्सक जिस राज्य में विकित्सा व्यवसाय कर रहा है दाव क पक्ष में यह तक दर्ता है कि जब तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता नहीं मिलती है तब तक राज्य स्तरीय पंजीयन की कोई आवश्यकता नहीं है, जबकि सत्य यह है कि जो संस्थायें केन्द्रीय पंजीयन की वकालत करती हैं और केन्द्रीय पंजीयन के पक्ष में तथ्य देती हैं वे ग्राहार्थ के घरातल से बिल्कुल अलग होती हैं जो संस्थायें केन्द्रीय अधिकार की बात करती हैं उन्हें चाहिये कि वे अपने विचारों को वैधानिकता के तराजू पर रखकर तौरें फिर यह तथ्य करें राज्य स्तरीय पंजीयन की आवश्यकता है कि नहीं ?

मान्यता और पंजीयन  
शेष अंतिम पेज पर

## મુમ પાલતે લોગ



इलेक्ट्रो होम्योपैथी आज सर्वाधिक भ्रमपूर्ण स्थिति से गुजर रही है जिसके कारण इलेक्ट्रो होम्योपैथी का वह विकास नहीं हो पा रहा है जो होना चाहिये देश और राज्य में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के सन्दर्भ में आदेश सात वर्ष से ज्यादा का समय पूरा कर चके हैं लेकिन इतनी लम्बी

अवधि के बावजूद भी अभी तक हमारे चिकित्सक के मध्य जो वेतन जाग्रत होना चाहिए उसका सर्वथा अभाव है और इसी कारण चिकित्सक तो चिकित्सक संचालकों के मध्य भी आत्म विश्वास का भाव पैदा नहीं हो पा रहा है।

जब व्यक्ति में आत्म विश्वास की कमी होती है तो वह पूरी कानूनों के साथ कार्य नहीं कर पाता है यहाँ पर यह बताना उचित होगा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में किसी एक तरह का भ्रम नहीं है ! लोगों में तरह-तरह के भ्रम हैं और यह भ्रम चन्द्र लोगों के द्वारा फैलाया जा रहा है अब यह भ्रम इत्त कदर फैल चुका है कि लोगबाग उत्तरवर्णने का प्रयास भी करते हैं तो वह अपने आप को मकड़ज़ात में फँसा दुआ पाते हैं , कुछ भ्रमों के बारे में हम आपको कई बार जानकारियां दे चुके हैं और हम लगातार यह प्रयास भी करते रहते हैं कि हमारे चिकित्सकों वा भ्रम के घलते हुए किसी तरह का कोई नुकसान न होने पाये, सबसे बड़ा भ्रम वर्तमान में चिकित्सकों के मध्य मुख्य चिकित्साधिकारी के कार्यालय में पंजीयन को लेकर है बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, ३०प्र० द्वारा चिकित्सकों को जागरूक करने के लिए ५ अप्रैल, २०१५ से लगातार प्रदेश स्तर पर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक अधिकारिता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है ।

इस कार्यक्रम में काफी संख्या में विकिल्सक भी जुड़े, मनोयोग से बात भी सुनी, लेकिन जैसे ही वे अकेले पढ़े उनकी मनारेखियति बदल गयी और जाग्ररुकता को कई कदम पीछे छोड़ गये जिससे कि जो सफलतायें मिलनी चाहिये वह नहीं मिल पायी हैं। जब हम वस्तुस्थिति से स्वयं को अवगत करते हैं तो जो तथ्य सामने उत्तर कर आते हैं वह काफी मनोरंजक व रोचक होते हैं हमने इसे कभी भी हलकेपन से नहीं लिया व्यक्तोंकि मुख्य विकिल्साधिकारी के कार्यालय में पंजीयन का कार्यक्रम सम्पादित होना बहुत आवश्यक है यदि उत्तर प्रदेश में विकिल्सा व्यवसाय करना है तो अपनी विकिल्सा व्यवसाय से सम्बन्धित सूचना सी0एम0ओ0 कार्यालय को देनी आवश्यक है पंजीकरण संख्या मिलना इतना आवश्यक नहीं है जितना कि आवेदन प्रेषित करना, जो लोग यह ज्ञान पाले हैं कि सी0एम0ओ0 कार्यालय में पंजीयन सिर्फ मान्यता प्राप्त पद्धतियों का होना है उन्हें अपनी मानसिकता में सुधार करना चाहिये और यह समझना चाहिये कि पंजीयन का मान्यता से कोई सम्बन्ध नहीं है यह पंजीयन सिर्फ अधिवक्ता व अनाधिकृत के मध्य में भेद पैदा करता है यदि हम पंजीयन के लिए आवेदन नहीं करते हैं तो स्वयं को अनाधिकृत की श्रेणी में डाल देते हैं।

इसेकटो होम्योपैथी में आज स्थिति यह है कि यहीं दो तरह की संस्थायाँ हैं एक अधिकार प्राप्त दूसरी यह जो अभी भी अधिकार प्राप्त करने के लिए तात्पात्र में हैं ऐसे लोग भी तरह-तरह के भ्रम फैला रहे हैं भ्रम फैलाने वालों का इससे कुछ खास नुकसान नहीं होगा लेकिन जो चिकित्सक है वह अवश्य परेशान होगा, हमें यह बात कभी भी नहीं भूलनी चाहिये कि भारत सरकार द्वारा चिकित्सा व्यवसाय हेतु विलीनिकल स्टेटलिसमेन्ट एक्ट नामक कानून बनाया गया है जिसे हर राज्य को अपने यहां लागू करना है यह सच है कि अभी तक प्रदेश में यह लागू नहीं है लेकिन वर्तमान सरकार ने इस एक्ट को प्रदेश में लागू करने का मन बना लिया है जिस विन भी यह एक्ट प्रदेश में प्रभावी हो जायेगा उस दिन सिर्फ वही चिकित्सक प्रदेश में चिकित्सा कार्य हेतु वैध रहेंगे जिन्होंने पहले से ही अपने पंजीयन का आवेदन मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में दे रखा है जिन्होंने पंजीयन के लिए अभी भी आवेदन नहीं किया है वह चिकित्सक सारे भ्रमों से दूर रहकर सिर्फ अपने हित के लिए अपना आवेदन मुख्य चिकित्साधिकारी के कार्यालय में प्रेषित कर दें व्याकोंप्रैविट्स आप करते ही भ्रम फैलाने वाले नहीं, जो भ्रम फैला रहे हैं वह फैलाते रहेंगे यदि आप भ्रम में

**कार्यवाही का डटकर करें मुकाबला**

आजकल पूरे प्रदेश में एक बार किर स्थानीय प्रशासन द्वारा ग्रोलालाप धिकित्सकों के विरुद्ध अभियान बड़ी तेजी के साथ चलता आ रहा है इसकी सूचनायें विभिन्न स्रोतों के माध्यम से हमें लगातार प्राप्त हो रही हैं इन कार्यवाहियों में एक बात प्रमुख रूप से उभयन्तरीक रूप से देखी जाती है कि लोगों

कर जा दा ह कि जा  
विकित्सक औलाभाप की  
श्रेणी में विनियोग किये जा रहे हैं  
हैं उनके विकल्प एक ही आरोप  
लगाया जा रहा है कि प्रैविटस  
कर रहे विकित्सक ने अपने  
विकित्सा कार्य करने हेतु  
सूचना मुख्य चिकित्सा  
अधिकारी कार्यालय को नहीं  
दी है दूसरे शब्दों में प्रैविटस  
कर रहे विकित्सक द्वारा अपने  
पंजीयन का आवेदन मुख्य

विकित्सा अधिकारी कार्यालय को प्रेषित नहीं किया गया है। यह एक ऐसी आपत्ति है जिसका विरोध नहीं किया जा सकता बल्कि यहाँ आरोप हमें झोलाचाप की श्रेणी से अलग करता है अपको यह बात पुनः जान लेनी चाहिये कि प्रदेश में विकित्सा व्यवसाय करने के लिए अपने पंजीयन का आवेदन हर शिक्षित, प्रशिक्षित व प्राधिकृत चिकित्सक को मुख्य विकित्साधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक है, जो विकित्सक ऐसा नहीं करेंगे गले ही वह मान्यता प्राप्त विकित्सा पद्धति की चिकित्सक ही क्यों न हो स्वतः झोलाचाप की श्रेणी में आ जायें अर्थात् अब उत्तर प्रदेश में विना मुख्य विकित्सा अधिकारी कार्यालय में पंजीयन के आवेदन के बिना विकित्सा व्यवसाय नहीं किया जा सकता है।

विगत अनेक वर्षों से बोर्ड आफ़ इले कटौ होम्योपैथिक मेडिसिन उ०प्र० व इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन आफ़ इण्डिया लगातार अपने स्तर से हर इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकित्सक को बताने का प्रयास कर रहा कि स्थानीय पञ्जीयन की महत्ता क्या है ? और इसकी उपयोगिता क्या है ? हम प्रयास पर प्रयास निरन्तर कर रहे हैं कि हर एक विकित्सक तक यह जानकारी पहुँचे, लोग जागरूक हों और अपने अधिकारों के प्रति संवेद हों इसलिए बोर्ड आफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ०प्र० ने गत ५ अप्रैल, २०१५ से पूरे प्रदेश में इले कटौ होम्योपैथिक विकित्सकों को जागरूक करने के लिए विकित्सक अधिकारिता जागरूकता अभियान चला रहा है इस अभियान के द्वारा अब तक १९ स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित

भी किये जा सकते हैं और आगे भी बढ़ते रहेंगे हमारी योजना है कि हम हर जनपद व तहसील स्तर तक इस अभियान को पहुचायें ताकि वह चिकित्सक जो सूचनाओं से दूर हैं वह भी सूचित हो और इलेक्ट्रो होम्पोपैथी के वर्तमान विधियों को समझें तथा अपने अधिकारों के प्रति आश्रम हों।

आज भी हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रो होम्योपथिक चिकित्सक ऐसे हैं जो अपने अधिकारी से अवगत नहीं हैं। वह अभी भी अपने आप का असुरक्षित महसूस करते हैं। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिये।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी  
एक अधिकार प्राप्त चिकित्सा  
पदार्थ के रूप में बही तेजी से  
साथ उभर रही है और हमारी  
चिकित्सक अपनी पूरी योग्यता  
के साथ अपनी हानिताओं का  
भरपूर प्रयोग करते दुख  
इलेक्ट्रो होम्योपैथी का  
स्थापित करने की दिशा में  
अपना महत्वपूर्ण योगदान दे  
रहे हैं वही कुछ चिकित्सक  
ऐसे भी हैं जो प्राप्त अधिकार  
का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं  
या जानवृत्त कर समझने का  
प्रयास नहीं कर रहे हैं हम  
विना किसी आलोचना के  
परवाह किये सतत प्रयास करते  
रहे हैं कि हमारा चिकित्सक  
जागरूक ली।

जागरूकता इसलिए आवश्यक है क्योंकि यहिं किसी वास्तविक झोलाछाप विकित्सक के खिलाफ कार्रवाही हो तो कार्रवाही उपरा लगती है लेकिन यहिं कोई इलेक्ट्रो होमोपथिक विकित्सक जो कि शिद्धित प्रणीति व पंजीकृत है तथा इले कट्टे हो म्बयों पै थिव

चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा व्यवसाय कर रहा है और ब्राह्मोलाभाप की कार्यवाही में फँस जाता है तो बहुत कष्ट होता है क्योंकि ब्राह्मोलाभाप की कार्यवाही समाज में आपकी प्रतिष्ठा को गिराती है और जिस कार्यवाही के जाप पानी नहीं है वह जरा से नादानी/लापरवाही के कारण आपके कपर हो जाती है, तो निश्चित तौर पर विषय कष्ट का होता है, इन्हें जहाँ कहीं भी जागरूकता अभियान बन तहत कार्यक्रम किये वे वहाँ पहुँच एक ही बात हम बार-बादोहरा रहे हैं कि हर इलेक्ट्रॉन होम्योपैथिक विकित्सक काला बाहिये कि वह अपने पंजीयन का आवेदन अपने जनपद के मुख्य विकित्साधिकारी कार्यालय में अवश्य प्रेसित कर कुछ लोग हमारी बात सहमत होते हैं और कुछ लोग हमारी सलाह का मजाक भी उड़ाते हैं, कहीं-कहीं तो यह आरोप भी लगाये जाते हैं कि

बोर्ड द्वारा यह अभियान अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए चलाया जा रहा है जब इसके तरह के बेंचिनियाद तर्क हमारे पास आते हैं तो हमें कष्ट तो नहीं होता है बल्कि तरस आता है उन लोगों की ओर से मानसिकता पर जो इतने निम्न स्तर के विचार रखते हैं यहाँ पर हम यह कहने में जरा भी संकोच नहीं रखते कि मैं यहाँ जै

विकित्सको के प्रति किसी तरह का ऐदागाव नहीं बरता है पहले दिन से हम यह कहते आ रहे हैं कि इनकटो होम्योपैथी सबके के लिए और हम इसी सिद्धान्त पर आज भी चल रहे हैं यह बात हर व्यक्ति को गौठ बांध लेनी चाहिये कि आपको जिस प्रदेश में विकित्सा व्यवसाय करना है उस प्रदेश में विकित्सा व्यवसाय करने हेतु प्रचलित नियमों और कानूनों का पालन करना होगा जिसकि उत्तर प्रदेश में माननीय उच्च न्यायालय का यह आदेश है कि प्रत्येक शिक्षित प्रशिक्षित व प्राधिकृत विकित्सक अपने विकित्सा व्यवसाय का पंजीयन का आवेदन मुख्य विकित्सा अधिकारी, (अब हो चुय आये दिक्

अधिकारी के यहा पैद्य व हकीम एवं होम्योपैथ जिला होम्योपैथिक अधिकारी) के कार्यालय में करेगा उच्च न्यायालय के इस निर्णय आदेश को क्रियान्वित करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा भी आदेश जारी किये जा चुके हैं तो फिर हम यदि इस आदेश का पालन नहीं करते हैं तो न केवल असर्वेधानिक कार्य करते हुए माननीय न्यायालय के आदेश की अवगानना भी करते हैं। हम इसी बात का प्रचार जागरूकता अभियान के

द्वारा कर रहे हैं, हम अपने हर कार्यक्रम में आने वाले हर विकित्सक से यही निवेदन करते हैं कि वह सर्वप्रथम अपना आवेदन अपने जनपद के मुरुर्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में करें चाहे वह किसी भी संस्था का हो। हमारा पहला लक्ष्य विकित्सकों को सरकाण देना है, संस्थायें अपने अधिकारी उपयोगिता सक्षम अधिकारी के सामने सिद्ध करेंगी हमें सिर्फ यह चिद्द करना है कि हमारा इसे बढ़ाव दे और न्यौं विधि के विकित्सक विकित्सा व्यवसाय करने हेतु अधिकारी है लेकिन यदि हम पंजीयन के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं करते हैं तो सबकुछ होने के बावजूद भी ज्ञालालाप की श्रेणी से अलग नहीं हो पायेंगे इसलिए यह हमारा नैतिक दायरित है कि हम बिना किसी सोच विवार के वह काम करें जो कि एक अच्छे विकित्सक के लिए

# इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया

## का 41 वाँ स्थापना दिवस हर्षोल्लास सम्पन्न

### मुख्य चिकित्साधिकारी करें इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों का पंजीयन – डा० इदरीसी

जनपद में इलेक्ट्रो होम्योपैथी पढ़ति से प्रैविट्स कर रहे पंजीकृत चिकित्सकों का पंजीयन मूल्य चिकित्साधिकारी अपने कार्यालय में करें। यह मांग इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा० एम०एच० इदरीसी ने एसोसिएशन के 41 में स्थापना दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में की।

डा० इदरीसी ने बताया कि उत्तर प्रदेश चिकित्सा अनुभाग–६ ने दिनांक 4 जनवरी, 2012 को शासनादेश जारी किया था इस शासनादेश का अनुपालन करवाने हेतु महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ०प्र० ने 2 सितम्बर, 2013 को सभी मण्डलों के अपर निदेशकों एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को आदेशित करते हुए निर्देश दिया कि वे 4 जनवरी, 2012 के शासनादेश का परिचालन व अनुपालन शासकीय आदेशनुसार करें इन्हें स्पष्ट आदेश के बाद जन पद के मुल्य चिकित्साधिकारियों को चाहिये कि वे इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों का पंजीयन करें और जाँच के नाम पर किसी भी इलेक्ट्रो होम्योपैथ का उत्पीड़न न करें, यदि आवश्यक समझे तो जाँच का कार्य में किसी भी विशेष इलेक्ट्रो होम्योपैथ को शामिल कर सकते हैं साथ ही इलेक्ट्रो होम्योपैथी को आगाह भी किया कि केवल अधिकार मिलने से काम नहीं बनता है जब तक प्राप्त अधिकारी के अनुरूप कार्य न किया जाये।

बैठक को सम्बोधित करते हुए इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया के संयुक्त सचिव श्री मिथलेश कुमार मिश्रा ने चिकित्सकों से कहा कि वह भयमुक्त होकर अधिकार पूर्वक इलेक्ट्रो होम्योपैथी से प्रैविट्स करें और प्राथमिकता के आधार पर पंजीयन हेतु अपना आवेदन प्रस्तुत करें। साथ ही चिकित्सकों को चाहिये कि उनके द्वारा किसी भी तरह की कोई ऐसी गतिविधि न हो जिससे स्वयं अकारण परेशानी में पड़ना पड़े, कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुये बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पद्धति से ही प्रैविट्स करें इसी ने दोनों की



इहमाझ के 41वें स्थापना दिवस के अवसर पर लगे एम० एच० मिथलेश मिश्र का इहमाझ प्रदेशी वी बाट रखते हुये। मिश्राजी साथ साथ से दाव जाने का वाई आई आई जान एवं इहमाझ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा० एम०एच० इदरीसी। छाया — गजट

### कार्यवाही का डटकर .... पेज 2

आवश्यक है, जिन लोगों के मन में ऐसे विचारधारा है कि जब तक इलेक्ट्रो होम्योपैथिक को मान्यता नहीं मिलती है और कानून नहीं बनता है तब तक उन्हें किसी पद्धति में नहीं पढ़ना है ऐसे व्यक्तियों को आज नहीं तो कल अपने विचारों में परिवर्तन लाना होगा समय रहते विचारों में परिवर्तन कर लेंगे तो सहज रहेंगे यदि कार्यवाही होने के बाद हमारे विचारों से आप सहमत हुए तब आनन्द नहीं आयेगा।

ओलाभाष अमियान

के तहत होने वाली जीवों से आपको घबराना नहीं चाहिये बल्कि सहर्ष जाँच अधिकारी को सहयोग करना चाहिये और यह रुपरूप कर देना चाहिये कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक अधिकार प्राप्त चिकित्सा पद्धति है इस चिकित्सा पद्धति के लिए बाकायदा शासनादेश जारी है इसलिए इलेक्ट्रो होम्योपैथ किसी तरफ से जोलाभाष की श्रेणी में नहीं आता है।

कभी कभी कुछ प्रकरण ऐसे भी सामने आये हैं जब आपसी द्वेष के कारण

चिकित्सक की शिकायत अधिकारी से की गयी है और यह आरोप लगाया गया है कि चिकित्सा व्यवसाय कर रहा चिकित्सक गलत प्रमाण पत्रों के आधार पर चिकित्सा व्यवसाय कर रहा है आरोप कोई किसी पर लगा सकता है उन आरोपों के आधार पर उस चिकित्सक की जाँच भी हो सकती है और यह भी सम्भव है कि यदि शिकायत करता प्रभावशाली है तो अपने मन गुताविक जाँच की समीक्षा भी करवा सकता है लेकिन इन सबके बावजूद भी जब



आयुष आपके द्वार कार्यक्रम में आते हुये आयुष मंत्री डा० धर्म सिंह सेनी, हयात ग्रूप के निदेशक मी० आरिफ़ के साथ डा० एम० एच० इदरीसी — यैयरमैन वी०ई०एच०एन० यू०पी० — छाया गजट

भलाई है आपकी प्रैविट्स सुरक्षित रहेंगी एवं इलेक्ट्रो होम्योपैथी पद्धति का विकास भी होगा।

कार्यक्रम में डा० संजय कुमार द्विवेदी, डा० पारस श्रीवास्तव, डा० मारिया इदरीसी, डा० वाई० आई० खान, डा० जी० जी० जी० वारसी आदि ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन डा० मिथलेश कुमार मिश्र द्वारा किया गया।

**स्वतंत्रा दिवस की**  
इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन डादिक शुभकामनायें

# चिकित्सा शिविरों के क्रम में जौनपुर सबसे आगे

भगवान महावीर इले कट्टौ हो म्यो पैथिक इन्स्टीट्यूट द्वारा 50वाँ इले कट्टौ हो म्यो पैथिक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन माननीय चौधरी राम जस जी के द्वारा सम्पन्न हुआ, इस चिकित्सा शिविर को जनपद के वरिष्ठ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक डा० प्रमोद कुमार भौमा की देख-रेख में चलाया गया जिसमें सहायक चिकित्सक डा० नदीम हुसैन एवं डा० अशोक विश्वकर्मा तथा आकाश भौमा, चन्दन भौमा, आशा कार्यकर्ता शशिकला भौमा ने सक्रीय योगदान किया, शिविर में लगभग 500 मरीजों का निःशुल्क परीक्षण एवं औषधियों का वितरण किया



मरीजों का परीक्षण करते हुये जौनपुर के प्रख्यात इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक डा० प्रमोद कुमार भौमा एवं उपरिख्यत मरीजों की भीड़

## धमाचौकड़ी खत्म

सारे दावे  
हुये  
पूर्ण

28 फरवरी

13 जून

9 जनवरी

19 मार्च

एवं

20 जून

के  
गर्भ में  
निर्णय

## आयुष आपके द्वार

में बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक  
की भी भागीदारी

लखनऊ— स्थानीय एक्सपो मार्ट उद्योग केन्द्र, बैंक रोड में इन्स्टीट्यूट कॉर्प सोशल हारमोनी एप्ड अप्लिफेन्ट (ईशु) द्वारा आयुष आपके द्वार के अन्तर्गत आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा कीम्य का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन प्रदेश के आयुर्वेदिक एवं यूनानी डा० धर्म सिंह सौनी द्वारा किया गया, कीम्य में जहाँ आयुर्वेदिक एवं यूनानी तथा हिजाज के शिविर लगे थे वहीं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का भी एक शिविर बोर्ड के सहयोग से अवधि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल इन्स्टीट्यूट, लखनऊ द्वारा लगाया गया था इसमें आशीष इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल इन्स्टीट्यूट, रायबरेली की भी सहभागिता रही, कार्यक्रम में बोर्ड के थेयरमेन डा० एम० एच० इदरीसी, डा० निष्ठलेश कुमार मिश्रा व शिविर में डा० पी० आर० धूसिया तथा डा० आनन्द भी अपना योगदान दिया।



सार्व से दार्ये तुलिद— महाराष्ट्र इशु, डा० झैले अन्तर्राष्ट्रीय—I.A.S.(R) आयुष मंडी डा० धर्म सिंह सौनी, डा० आरुषोऽ कपूर, डा० आनन्द अवधि इन्स्टीट्यूट लखनऊ, पी० डा० पी० आर० धूसिया, डा० पी० एन० कुलवरहा (जारी इन्स्टीट्यूट रायबरेली), डा० एम० एच० इदरीसी—सेक्रेटरी B.E.H.M.U.P. तथा डा० आकाश अहमद साहनी पूर्व उप निदेशक यूनानी। —ज्ञाया गज़त

## स्थानीय पंजीयन .... प्रथम पेज से आगे

दोनों अलग अलग बातें हैं मानवता प्राप्त चिकित्सक यदि चिकित्सा व्यवस्था करते हैं तो उन्हें भी उस राज्य में पंजीयन करना होता है जिस राज्य में वह प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो किर इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सक अपने लिए कैसे अलग राज्य करते हैं यदि हम चिकित्सा व्यवस्था हेतु राज्य में प्रचलित कानूनों का पालन करें तो हमें कार्य करने में कठिन तरह की कोई असुविधा न होगी, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में जिन चिकित्सकों के साथ घटनायें घट रही हैं निश्चित रूप से वह सबकुछ नहीं कर रहे हैं तो उन्हें यही अपने आप को इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अपनी चिकित्सा पद्धति के प्रति निश्चावन ही नहीं है दूसरी बात यह चिकित्सक की भी अपने आप को इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक रूप में घोषित ही नहीं करते हैं, हमारे चिकित्सकों को पता नहीं दें अपने स्वरूप से स्नेह नहीं है या तो उनमें हीन भावना हो या किर उनका दृष्टिकोण संकुचित हो चुका है।

यदि हम अपने साधनबोर्ड पर यह स्पष्ट उल्लेख करे कि यह विलीनिक इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की है और इस विलीनिक को संचालित करने वाला चिकित्सक इलेक्ट्रो होम्योपैथ है तो यकीन मानने वाली समझ का सम्बन्ध तो दारम्भ में ही हो जायेगा। अगली समझ की तरह यहीं पंजीयन के साथ साथ स्थानीय पंजीयन की, यदि हम इनकी प्राप्ति भी कर देते हैं तो हमें किसी भी तरह वी परेशानी करने का सामना नहीं करना पड़ेगा, जब तक हम अपने आप को इस रूप में नहीं ढालते हैं तो हमारी परेशानी आसानी से दूर होती नहीं दिखती, सारी प्राप्ति के बाबजूद भी यदि किसी अधिकारी द्वारा किसी इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है तो इसका स्थानीय रूप पर पुरुजोर विरोध होना चाहिये और सामुहिक रूप से अपनी अधिकारिता लिंग करनी चाहिये। हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि हर इलेक्ट्रो होम्योपैथ पूरे अधिकार के साथ प्रैक्टिस करे लेकिन विषेसम्भव डंग से।

परेशानी आज नहीं कल अवश्य दूर होंगी लेकिन आप द्वारा ऐसा काही कार्य न हो जिससे कि परेशानीय स्वयं निर्मानित हो जायें, हमारी अपेक्षा है कि हर चिकित्सक सकारात्मक विचारों के साथ इलेक्ट्रो होम्योपैथी भूल तथा पर विचार करेगा और ऐसी रणनीति बनायेगा जिससे कि कभी पीड़ित न हो।

गया।

काव्य क्रम में भगवानपुर के ग्राम प्रधान द्वारा आमार प्रकट करते हुये सभी शिविर के कार्यकर्ताओं, चिकित्सकों एवं अतिथियों को धन्यवाद दिया।

**डा० प्रलयंकर**

**द्वारा  
स्थापित**

Indian Electro Homoeopathic Medical Council

**का**

**स्वर्णजयंती**

**समारोह**

**19 अगस्त**

**2018**

**को**

**शाह**

**ऑडिटोरियम**

**सिविल लाइन्स**

**निकट**

**कशमीरी गेट**

**मेट्रो स्टेशन**

**दिल्ली में**